भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1066

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल

†1066. श्री जिया उर रहमान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश भर में बीमारी के बढ़ते बोझ, विशेषज्ञों की कमी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना पर बढ़ते दबाव से अवगत है; और
(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने, सेवा वितरण में सुधार करने और सभी नागरिकों के लिए सुलभ व किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): देश भर के विशेषज्ञों के बारे में विवरण एचडीआई 2023-24 के निम्नलिखित लिंक https://www.mohfw-dohfw.gov.in/static/uploads/2026/05/57202cf30629539e4d0fb0a2f700ac62.pdf पर देखा जा सकता है:

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। जन स्वास्थ्य अवसंरचना सहित समग्र जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में कमियों को दूर करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोग निवारण को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार

कार्यवाही के अभिलेख (आओपी) के रूप में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीर्घकाल में भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के अनुसार पर्याप्त संख्या में नियमित पद बनाकर मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है और अल्प से मध्यम अवधि में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए एनएचएम पदों का उपयोग करना है। एनएचएम, आईपीएचएस के अनुसार द्वितीयक और प्राथमिक परिचर्या सुविधाकेंद्रों (जिला अस्पताल और उससे नीचे) में मानव संसाधन की कमियों को पूरा करके नियमित मानव संसाधनों को पूरकता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, तथा विशेष रूप से शहरी, ग्रामीण और जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में गरीब और कमजोर वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण, किफायती और सुलभ स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता, में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

देश में कुल 1.86 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और संचालित किए जा चुके हैं, जो निवारक, प्रोत्साहक, उपशामक, पुनर्वास संबंधी और उपचारात्मक परिचर्या सहित व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय नि:शुल्क औषधि सेवा पहल और नि:शुल्क निदान सेवा को आवश्यक औषधि और निदान सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में आने वाले रोगियों के जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए लागू किया गया है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा एनएचएम के तहत राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, 24 x 7 सेवाएँ और प्रथम रेफरल सुविधाएँ, प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति, टीबी मुक्त भारत अभियान और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जैसी विभिन्न पहलें संचालित की जा रही हैं । स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) एएएम सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों के लिए शुरू किए गए हैं।
